प्रेस नोट

अन्तर्जनपदीय पशु चोर अवैध शस्त्र व चोरी गये पशुओं के साथ गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर श्री राजेश सिंह द्वारा चलाये जा रहे चेकिंग अभियान पशु तस्करों व चोरो की गिरफ्तारी के क्रम में व श्रीमान क्षेत्राधाकारी जाफरगंज श्री अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 07.06.2022 को थाना ललौली की पुलिस द्वारा बंधवा तिराहा पर चेकिंग के दौरान एक अदद वाहन बोलेरो UP 71 Y 3392 जिसमे 09 राशि चोरी की बकरिया/ बकरे ठूस ठूस कर भरे गये थे , बरामद किये गये। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस सम्बन्ध में थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर में मु0अ0सं0 217/22 धारा 379 I.P.C. पंजीकृत है। बरामदगी व गिरफ्तारी के दौरान चालक मनोज निषाद पुत्र रामधनी निवासी नरैचा थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य चोर मौके से भाग गये। गिरफ्तारी व बरामदी के दौरान अभियुक्त चालक मनोज निषाद पुत्र रामधनी निवासी नरैचा थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/22 धारा 41/411 IPC व मु0अ0सं0 146/22 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु0अ0सं0 147/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 संतोष कुमार सिंह – थाना ललौली,
2. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह – थाना ललौली ,
3. का0 चंदन यादव – थाना ललौली,
4. का0 सुजीत यादव – थाना ललौली ,

बरामदगी- मु0अ0सं0 217/22 धारा 379 I.P.C. थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मे चोरी गये 09 राशि बकरिया/ बकरे, एक अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 217/22 धारा 379 I.P.C. थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 145/22 धारा 41/411 IPC थाना ललौली, जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 146/22 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना ललौली, जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 147/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ललौली, जनपद फतेहपुर

BOLERO